

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक 6.07.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 6.7.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:-

1. विभाग की योजनाओं में 90 प्रतिशत प्रगति अर्जित करने के लिए निम्न कार्यवाही की जानी है:-
 1. राज्य स्तर पर योजना प्रभारी की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को रखी जाए।
 2. सबसे कम प्रगति वाले जिलों के 4 सीईओ की बैठक सचिव महोदय के स्तर पर 20 जुलाई के बाद रखी जायेगी।
 3. योजनाओं के कम प्रगति तथा समय पर स्वीकृतियों जारी नहीं करने के संबंध में 3 मेमो जारी किये जायेंगे और 3 मेमो उपरान्त 17 सीसी के नोटिस देने की कार्यवाही की जायेगी।
 4. विभाग की विभिन्न योजनाओं की आईडब्ल्यूएमएस वेबसाइट के सुधार के लिए प्रत्येक माह के 15 दिवस में एक बैठक एनआईसी के प्रतिनिधि एवं अन्य लोगों के साथ की जायेगी।

(समस्त योजना प्रभारी)
2. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में पुनः पत्रावली चलाकर शीघ्र निर्णय कराया जायेगा।
3. पीआरसी की बैठक नई दिल्ली में भाग लेने हेतु संबंधित को सूचित करने के निर्देश दिये गये।
4. सीएसआरएफ के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को भेजने के निर्देश दिये गये।

(समस्त योजना प्रभारी)
5. बीएडीपी योजना में लाईन विभागों द्वारा कार्य में की गयी देरी के संबंध में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर बैठक का आयोजन कराया जाए। बीएडीपी योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना तैयार करा कर भारत सरकार को भेजी जाए।

(योजना प्रभारी)
6. बीएडीपी में वर्ष 2015-16 के लिए कार्य की स्वीकृतियों (AS,TS,FS)जारी करने के निर्देश जिलों को दिया जावे।

(योजना प्रभारी)
7. बीएडीपी योजना का नोट बनाकर मुख्य सचिव महोदय को आज भिजवाने के निर्देश दिये गये।

(योजना प्रभारी)
8. आईडब्ल्यूएमएस सॉफ्टवेयर से संबंधित इश्यु के लिए पहली बैठक इस सप्ताह बाद ली जावे जिसमें सभी योजना प्रभारी भाग लेंगे।

(योजना प्रभारी)
9. डांग, मगरा, मेवात योजना में भेजे गये समस्त प्रस्तावों की स्वीकृतियों 5 जुलाई 2015 तक जारी कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रगति रिपोर्ट से आज ही अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

(योजना प्रभारी)
10. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास द्वारा दर निर्धारण की कार्यवाही 5 पंचायत समितियों में करायी जाये तथा इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक अलग से बैठक रखी जाए जिसमें विशेषतौर पर बहुत अधिक दर निर्धारण वाली पंचायत समितियों की दरों के संबंध में पुनर्विचार किया जाये।


(योजना प्रभारी)
11. वित्तीय सलाहकार द्वारा शेष रहे 3456 ग्राम पंचायतों में टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए तथा आगामी वर्षों के लिए फरवरी माह तक टेण्डर पूर्ण हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी नहीं किये गये है आदेश जारी करावें।

(वित्तीय सलाहकार)
12. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 15वीं लोकसभा की प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 30.6.2015 तक पुनः सूचना तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

(पीडी एसएपी-एसएस)
13. समस्त योजना प्रभारी दिनांक 1.4.2014 से पूर्व के कार्यों का अपलोडेशन आईडब्ल्यूएमएस में कर दिया गया है यह सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु परियोजना अधिकारियों से प्रमाण पत्र बैठक में लेने के निर्देश दिये गये।

(समस्त योजना प्रभारी)

14. योजना की स्वीकृतियों व जिलों की प्रगति के लिए परियोजना अधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को रखा जाना है। प्रथम बैठक आज दिनांक 6.7.2015 को हो रही है।
(समस्त योजना प्रभारी)
15. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 136 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। शेष के चयन के लिए प्रत्येक सीईओ से व्यक्तिगत बात कर जहां आवश्यक हो शासन सचिव महोदय की ओर से पत्र लिखवाया जाए।
(योजना प्रभारी)
16. सहायक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा ली गयी ट्रेनिंग के संबंध में एनआईसी के माध्यम से उनका टेस्ट कराया जाए।
(योजना प्रभारी)
17. विधान सभा के चतुर्थ सत्र के बकाया सभी प्रश्नों को पूर्ण करा लिया जायें। पाली सीईओ को एसएपी अनुभाग से संबंधित विधान सभा प्रश्न के जवाब हेतु मुख्यालय पर बुलाने के निर्देश दिये गये।
(योजना प्रभारी)
18. सभी योजना प्रभारी अपने अनुभाग के कार्मिकों की बैठक लें तथा उसकी मिनट्स कम से कम एक पृष्ठ की जारी कर सचिव महोदय को अवगत करायेंगे।
(समस्त योजना प्रभारी)
19. स्वावलम्बन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले ऐप का प्रजेन्टेशन 10 जुलाई 2015 को करने के निर्देश दिये गये।
(योजना प्रभारी)
20. Secc-2011 का पॉवर प्रजेन्टेशन एक घंटे का दिनांक 10 जुलाई 2015 तक बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
(योजना प्रभारी)
21. मा0 मंत्री महोदय, जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सामुदायिक भवन की राशि घटाने व उसके आकार के संबंध में दिये गये निर्देशों को रिवाईज करने तथा नलकूपों के संचालन हेतु स्थानीय यूजर कमेटी को संचालन की जिम्मेदारी हेतु दिये गये प्रस्तावों की पत्रावली आज प्रस्तुत कर दी गई है।
(योजना प्रभारी)
22. आगामी बैठकों में प्रत्येक योजना प्रभारी आईडब्ल्यूएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श करेंगे अतः सभी योजना प्रभारी वेबसाईट पर उपलब्ध एमपीआर का पूर्ण अध्ययन कर बैठक में उपस्थित होंगे।
(योजना प्रभारी)


परिनिदेश पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति० मुख्य अभियन्ता एवं परि०निदेश० एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोप्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई / श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


परिनिदेश पदेन उप सचिव (मोएवंमू)